न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 37/2019
जी.सी.एम.एस. : 2019/00143

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
वीरा उर्फ वीराराम पुत्र भीका जाति राईका निवासी कोलपुरा ग्राम पंचायत धनला, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.) 2. जाजू पत्नी स्व. वनाराम जाति राईका 3. कूपाराम पुत्र स्व. वनाराम जाति राईका 4. मांगीलाल पुत्र स्व. वनाराम जाति राईका 5. गवरी पुत्री स्व. वनाराम जाति राईका 6. ममता पुत्री स्व. वनाराम जाति राईका 7. विमला पुत्री स्व. वनाराम जाति राईका तमाम निवासीगण कोलपुरा ग्राम पंचायत धनला तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरलाल गहलोत
रेस्पोडेण्टगण अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक :– 05.04.2021

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2546 दिनांक 11.06.2015 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्टगण अनुपस्थित रहने से बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्टगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1849 रकबा 1.2773 है. किस्म बारानी दोयम ग्राम कोलपुरा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली में स्थित है। दिनांक 24.09.2014 को सह खातेदार वना पुत्र भोला का देहान्त हो जाने से, उनका फौतेदगी नामान्तरकरण राजस्व अधिकारियों द्वारा बिना जांच किए ही दर्ज कर दिया। जिसमें उन्होंने मृतक वना पुत्र भोला के वारिशान का नाम दर्ज किया, लेकिन नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 9 में उनके पिता का नाम वना के स्थान पर वीरा अपीलाण्ट को नाम दर्ज कर साथ कॉलम संख्या 14 में भी मृतक वना पुत्र भोला के स्थान पर अपीलाण्ट वीरा पुत्र भीका के फौत होने से उनके वारिशान के नाम दर्ज होने बाबत दर्ज कर दिया, जबकि अपीलाण्ट आज भी जीवित है तथा कॉलम संख्या 9 में दर्ज वारिशान अपीलाण्ट के न होकर वना पुत्र भोला के वारिशान है। ऐसी स्थिति में जैर अपील नामान्तरकरण प्रथम दृष्टया ही काबिल निरस्त है। अपीलाण्ट द्वारा राजस्व अधिकारियों के सामने इस संशोधन के संबंध में आवेदन पेश किया तो, उन्होंने अपील पेश करने बाबत कहा, तो अपीलाण्ट ने नामान्तरकरण की नकल प्राप्त

अति. जिला कलेक्टर, पाली

कर दिनांक 19.07.2019 को पेश की, जिसे अन्दर म्याद शुमार फरमाई जाकर जैर अपील नामान्तरकरण को निरस्त फरमाया जावें।

हमने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेस्पोडेण्टगण के जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर, अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2546 के कॉलम संख्या 14 में अपीलाण्ट वीरा पुत्र भीका के फौत होने से उसके वारिशान के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जाना अंकित किया है। जबकि उक्त नामान्तरकरण वना पुत्र भोला के देहान्त होने से उसके वारिशान के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था, लेकिन नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा वना पुत्र भोला का नाम यथावत रखते हुए सहखातेदार वीरा को फौत बताते हुए उसका नाम हटाकर दर्ज कर दिया, जबकि अपीलाण्ट आज भी जीवित है। उपरोक्त तथ्यों की ताईद रेस्पोडेण्टगण के जवाब एवं उनके पिता वना के मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 24.09.2014 से होती है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट वीरा आज भी जीवित है, वना पुत्र भोला का देहान्त हो चुका है तथा वना पुत्र भोला का फौतेदगी नामान्तरकरण उसके वारिशान के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। लेकिन हल्का पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक व नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने जैर अपील नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व किसी प्रकार की जांच नहीं की है तथा जीवित व्यक्ति को मृत बताकर जैर अपील नामान्तरकरण दर्ज कर दिया, जिसे यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2546 को अपास्त किया जाता है तथा नामान्तरकरण दर्ज किए जाने से पूर्व की स्थिति को बहाल किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को निर्णय की प्रति के साथ मूल नामान्तरकरण भिजवाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 05.04.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली